

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा पर गठित कमिटी के पत्रांक-30/CoRS/2014 दिनांक- 28.03.2017 से संबंधित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारियों के साथ दिनांक-26.04.2017 को 12.30 बजे अपराह्न में आहूत बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति:-

- (1) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव,
- (2) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
- (3) श्री अमीर हसन, मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग,
- (4) श्री चमन प्रकाश सिन्हा, मुख्य अभियंता (अनुश्रवण),
- (5) श्री राज कुमार लाल, मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन,
- (6) श्री चन्द्रशेखर, मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, पटना,
- (7) श्री रंजन कुमार, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना,
- (8) श्री चन्द्रशेखर, विशेष पदाधिकारी (यातायात),
- (9) श्री अमीर हसन, नोडल पदाधिकारी, सड़क सुरक्षा कोषांग,
- (10) श्री भोगेन्द्र मंडल, मुख्य अभियंता (या०), दक्षिण बिहार उपभाग के सचिव (प्रावैधिक)

बैठक की कार्यवाही:-


माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा पर गठित कमिटी के पत्रांक-30/CoRS/2014 दिनांक-28.03.2017 द्वारा प्राप्त पथ निर्माण विभाग से संबंधित कंडिका निम्न प्रकार है:-

- Vii (a) The Committee observes that the Bihar RCD is undertaking Road Safety Audit of State Highways. However, it is not clear if the Committee's directions stating that the construction of road projects costing more than Rupees ten cores should begin only after the recommendations of the design stage auditor are being implemented. The Lead Agency should ensure that the Bihar RCD issues appropriate orders in this regard and send a copy of the order to the Committee.
- Vii (b) The Committee desires that the State should set a time frame for completion of the road safety audit of each phase of the audit and intimate the Committee.
- Vii (c) The Committee notes that the State is preparing year wise calendars for training of adequate number of highway engineers belonging to Bihar RCD in 2017 and 2018 and directs the State to prepare the calendar in respect of all road owning/managing agencies in the State and fix targets for each road owning/managing agency in respect of training of highway engineers in road safety in 2017-18 and intimate the Committee.
- X The Committee notes that the State has not sent any reply to para (ix) of the Committee's letter dated 16.11.2016 regarding adequate traffic calming measures taken by all the road owning/managing agencies and reiterates its direction that the Lead Agency should confirm that adequate traffic calming measures have been taken by all road owning/managing agencies in the State on roads merging in or diverging from the National and State Highways and at all other required places.

5. कंडिका (Xii) a एवं b :- पथों के दोनों तरफ 100 मीटर के अंदर वैसे Hoardings and Objects जो ड्राईवर को Obstruct या Distract कराता हो, स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर हटाया जाय एवं इसकी सूचना विभाग को दी जाय। इसके लिए संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता एवं नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र भेजा जाए।

(अनुपालन:- सड़क सुरक्षा कोषांग)।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।


29.4.17
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक -के०नि०सं०27/प्रा०(सड़क सुरक्षा)-01/16-301 दिनांक:- 29.4.17


प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड/मुख्य अभियंता (या०), दक्षिण बिहार, उपभाग/विशेष पदाधिकारी (यातायात)/नोडल पदाधिकारी सड़क सुरक्षा कोषांग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


29.4.17
(मुख्य अभियंता)

केन्द्रीय निरूपण संगठन,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -के०नि०सं०27/प्रा०(सड़क सुरक्षा)-01/16-301 दिनांक:- 29.4.17

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (पथ निर्माण) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


29.4.17
(मुख्य अभियंता)

केन्द्रीय निरूपण संगठन,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

